

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ Arjun Drishti/2019/ 815;

Date: 28 May 2019

प्राचार्य,

1. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
2. राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर
3. राजकीय जूंगर महाविद्यालय, बीकानेर
4. महारानी सुदर्शना राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर
5. राजकीय महाविद्यालय, बूंदी
6. आर. आर. महाविद्यालय, अलवर
7. बाबू शोभाराम राजकीय महाविद्यालय, अलवर
8. रामेश्वरी देवी कन्या राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर
9. राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा
10. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा
11. पी.एन.के.एस. राजकीय महाविद्यालय, दौसा
12. राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़
13. राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू
14. राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से विद्यार्थियों में क्रीड़ा एवं खेलकूद अभिरूचि विकास परियोजना अर्जुन दृष्टि को विशेष अभियान के रूप में चयनित 14 राजकीय महाविद्यालयों में प्रारम्भ करवाने एवं समन्वय मीटिंग का आयुक्तालय, जयपुर में दिनांक 07 जून 2019 को आयोजन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों में क्रीड़ा एवं खेलकूद अभिरूचि विकास तथा उन्हें राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की सफलता की दृष्टि से महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलवाये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ करवाई जा रही है।

इस प्रयोजनार्थ आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान की ओर से क्रीड़ा एवं खेलकूद अभिरूचि विकास हेतु अर्जुन दृष्टि क्रीडा एवं खेलकूद कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। प्रारंभिक चरण में उपर्युक्त 14 राजकीय महाविद्यालयों में खेलकूद एवं क्रीड़ा विकास हेतु महाविद्यालय में अध्ययनरत तथा यथा स्थान उपलब्ध अन्य युवाओं को प्रशिक्षण दिलवाने हेतु क्षेत्रीय विशेषताओं अनुसार खेलकूद हब बनवाये जाने हैं।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के स्तर पर इस परियोजना अर्जुन दृष्टि को विशेष अभियान के रूप में संचालित एवं समन्वय करने का दायित्व नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ रहेगा। इस परियोजना के आयुक्तालय स्तर पर समन्वय हेतु निम्न अधिकारियों की समिति गठित की जाती है -


1. डॉ. जयदीप सिंह, सह-आचार्य
2. डॉ. विनोद भारद्वाज, सह-आचार्य

इस संबंध में चयनित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि -

1. महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद एवं क्रीडा में रुचि रखने वाले एक संकाय सदस्य/खेलकूद प्रभारी को समन्वयक नामित करते हुये 5-7 सदस्यीय समिति का महाविद्यालय स्तर पर गठन करवायें। इस समिति का अध्यक्ष प्राचार्य स्वयं रहेगे।
2. महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति की प्रथम बैठक में स्थानीय विशेषता/मांग अनुरूप किन्ही दो खेलकूद/क्रीडा गतिविधियों का चयन किया जाना है तथा इनमें प्रशिक्षण दिये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सुनिश्चित करते हुये खेलकूद हब प्रयोजनार्थ वांछित संसाधन एवं सुविधाओं का महाविद्यालय स्तर पर प्रबंधन की रूपरेखा तैयार करवाते हुये विस्तृत प्रस्ताव आयुक्तालय को प्रेषित करवायें।
3. प्रत्येक खेलकूद/क्रीडा गतिविधि के साथ समिति की बैठक की मिनिट्स, जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम एवं मोबाइल नम्बर अंकित हो, संलग्न कर आयुक्तालय को प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

4. महाविद्यालयों को अपने स्तर पर उपलब्ध संसाधनों यथा विकास समिति/छात्रनिधि कोष/दानदाता/जनप्रतिनिधि की सहायता से ही खेलकूद एवं क्रीड़ा हब का प्रबंधन एवं संचालन करना होगा। आवश्यकतानुरूप खेलकूद/क्रीडा गतिविधि हब के लिये वांछित वित्तीय संसाधन के प्रस्ताव को विकास समिति की बैठक में अनुमोदित करवाकर प्रक्रिया प्रारम्भ करावें।
5. इस अर्जुन दृष्टि कार्यक्रमान्तर्गत महाविद्यालय को यह भी सुनिश्चित करना है कि चयनित खेलकूद एवं क्रीडा गतिविधियों को समरकैम्प (जून माह) एवं नियमित गतिविधि (जुलाई-फरवरी माह) के रूप में संचालित करवाना है, अतः तदनुसार प्रस्ताव तैयार करवाकर भिजवायें।
6. चूंकि समर कैम्प 2019 कार्यक्रम माह जून में संचालित किया जा रहा है अतः इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालयों से समर कैम्प गतिविधियों के विस्तृत प्रस्ताव आयुक्तालय के नवाचार प्रकोष्ठ की ई-मेल आई.डी. **innovation.cceraj@gmail.com** पर दिनांक 31.05.2019 तक आवश्यकरूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. क्रीडा एवं खेलकूद की नियमित गतिविधियों के प्रस्ताव 15 जून 2019 तक भिजवाये जा सकेंगे।
8. इस संबंध में दिनांक 07 जून 2019, शुक्रवार, को एक आवश्यक बैठक शिक्षा संकुल स्थित मंथन सभागार में प्रातः 10.00 बजे आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रथम चरण में चयनित सभी 13 राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं खेलकूद प्रभारी अधिकारी को आवश्यकरूप से उपस्थित होना है।


किसी भी प्रकार की सहायता/मार्गदर्शन हेतु डा. जयदीप सिंह, प्रभारी, 100 दिवसीय/वार्षिक कार्य योजना, आयोजना शाखा को उनके मोबाइल नम्बर 9414592919 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
**प्रदीप कुमार बोरड़, IAS**  
 आयुक्त, कालेज शिक्षा, एवं  
 विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान;

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ Arjun Drishti/2019/ 816-17; Date: 28 May 2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक HRD/ PI/ P&C/ Acad./ Admn./RUSA आकाशि, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर एवं भरतपुर को समन्वय करने हेतु।
8. संबंधित महाविद्यालयों के प्रभारी अधिकारी, कालेज समूह, आकाशि, जयपुर को समन्वय करने हेतु।
9. संबंधित अधिकारीगण।
10. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
11. केयर टेकर शिक्षा संकुल सभागार को मंथन सभागार आरक्षित करने हेतु।
12. केयर टेकर आकाशि को मीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
 डा. विनोद कुमार भारद्वाज  
 प्रभारी अधिकारी,  
 नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ